संख्याः 25/2021-825/58-2021-23/2021

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2021**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद शामली में रू0-24.95 लाख तथा जनपद कौशाम्बी में रू0-25.00 लाख के निर्माण कार्यों हेतु अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत पूँजीगत पक्ष में लेखाशीर्षक-4401-800- 04-24-बृहद निर्माण कार्य मद में व्यवस्थित धनराशि रू0-50.00 लाख के सापेक्ष कुल धनराशि रू0-49.95 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-145/बजट/2020-21, दिनांक- 16.03.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद शामली में रू0-24.95 लाख तथा जनपद कौशाम्बी में रू0-25.00 लाख के निर्माण कार्यों हेतु अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत पूँजीगत पक्ष में लेखाशीर्षक-4401-800-04-24-बृहद निर्माण कार्य मद में व्यवस्थित धनराशि रू0-50.00 लाख के सापेक्ष कुल धनराशि रू0-49.95 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्ताव/आगणन लोक निर्माण विभाग के अद्यतन शिड्यूल्ड ऑफ रेट की दरों पर गठित किया गया है। आगणन में मिट्टी भराई के संबंध में आवश्यकता एवं औचित्य तथा दरों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) आगणन में जहां बाजार की दरें प्रस्तावित की गयी हैं, उनके संबंध में दरों के आधार एवं औचित्य का इस संबंध में दिये गये नियमों मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार परीक्षण किया जायेगा।

(3) आगणन में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 की गणना सैंटेज चार्ज को हटाकर की जाय। उपरोक्त के साथ-साथ सी0वी0सी0 गाईड लाईन/ जी0एफ0 रूल्स/थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन में दी गयी तत्संबंधी व्यवस्था तथा प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं औचित्य का परीक्षण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस- 2014-10/77, दिनांक 26.8.2014 में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4401-800-04-जिला व मण्डलीय कार्यालय के अन्तर्गत मानक मद 24-वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149- दस-2020-231/2020, दिनांक 24.3.2020, संख्या-4/2020/बी-1-192-दस- 2020-231/2020, दि0-07.4.2020, संख्या-5/2020/बी-1-196-दस-2020-231/2020, दिनांक 11.4.2020 तथा संख्या-6/2020/बी-1-218-दस-2020- 231/2020, दिनांक 18.5.2020 में दी गयी शर्तों/ प्रतिबन्धों/प्रकिया के अधीन प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-25/2021-825 (1)/58-2021 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेंिषतः-

(1) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(2) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशनलिमिटेड, लखनऊ।

http://shashanadesh.up.gov.in

(4) संबंधित उप निदेशक उद्यान-द्वारा निदेशक।

(5) संबंधित जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक-द्वारा निदेशक।

(6) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1

(7) वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-2

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shashanadesh.up.gov.in